भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

26.07.2023 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1107 का उत्तर

मुद्रणालयों का बंद होना

1107. डॉ. वेंकटेश नेता बोरलाकुंता:
डॉ. जी. रणजीत रेड्डी:
श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे ने सिकंदराबाद, तेलंगाना में मुद्रणालय सहित सम्पूर्ण रेलवे नेटवर्क में अपने पांच प्रिंटिंग प्रेस को बंद करने और टिकट प्रणाली के पूर्ण डिजिटलीकरण होने तक टिकटों की छपाई को आउटसोर्स करने के अपने निर्णय पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सभी ट्रेड यूनियन उक्त कदम, जिसे एक बार इन ट्रेड यूनियनों के कड़े विरोध के बाद स्थगित कर दिया गया था, के विरुद्ध थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबद्ध क्षेत्रों में मुद्रणालयों के कर्मचारियों को फिर से तैनात किया जाएगा और मशीनरी, संयंत्रों आदि का निपटान किया जाएगा और यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और

(घ) क्या इन मुद्रणालयों की भूमि का लाभकारी उपयोग होने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क): जी हां। डिजिटलीकरण और प्रिंटिंग की आवश्यकता कम होने के कारण, ये प्रिंटिंग प्रेस अव्यवहारिक हो गई हैं इसलिए, 04.06.2019 को रेल मंत्रालय ने मुंबई, हावड़ा, दिल्ली, चेन्नई और सिकंदराबाद में स्थित पांच प्रिंटिंग प्रेसों को मार्च, 2020 तक बंद करने का निर्णय लिया था। डिजिटलीकरण की प्रगति, कागजी टिकट/मूल्य वाली मदों की आवश्यकता और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए इन प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय 31.03.2023

तक अस्थायी तौर पर रोक दिया गया था। आखिरकार इन प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने का निर्णय 03.05.2023 को सभी क्षेत्रीय रेलों को सूचित कर दिया गया था। प्रेस बंद करने क्रियान्वयन हेतु व्यापक दिशा-निर्देशों में टिकटिंग प्रणाली के संपूर्ण डिजिटलीकरण होने तक बाहर से टिकटों की आऊटसोर्सिंग शामिल है।

(ख): प्रिंटिंग प्रेसों को जारी रखने के लिए ट्रेड यूनियनों से अनुरोध प्राप्त किए गए थे। डिजिटलीकरण की प्रगति, कागजी टिकट/मूल्य वाली मदों की आवश्यकता और कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए, पूर्व में प्रिंटिंग प्रेसों को बंद करने से रोक दिया गया था।

(ग) और (घ): जी हां। दिनांक 03.05.2023 के पत्र के तहत प्रेसों को बंद करने के कार्यान्वयन हेतु व्यापक दिशानिर्देश जारी किए गए थे जिसमें निकाले गए कर्मचारियों की पुनः तैनाती, इन प्रेसों में उपलब्ध सभी मशीनों, संयंत्रों का निपटान और संबंधित क्षेत्रीय रेलों द्वारा उपलब्ध भूमि की लाभदायक उपयोगिता शामिल है।

****